IndiaCode

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2006

सा.का.नि. 574(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (अध्यक्ष या सदस्य के विरुद्ध जांच करने के लिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति की प्रक्रिया या प्राधिकारी की संरचना) नियम, 2006 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 अभिप्रेत है ;

(ख) "न्यायाधीश" से नियम 3 के अधीन कोई जांच करने के लिए नियुक्त उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अभिप्रेत है ;

(ग) ऐसे सभी अन्य शब्दों और पदों का, जो इनमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनका है ।

3. जांच करने के लिए न्यायाधीश - (1) जब भी केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि अधिनियम की धारा 7 के अधीन अध्यक्ष या किसी सदस्य के विरुद्ध ऐसे वित्तीय या अन्य हित के अर्जन के किसी लांछन की जिससे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है या उसकी स्थिति के दुरुपयोग की जिससे उसके उस पद पर बने रहने से लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, सत्यता की जांच करने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं तो वह, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात्, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी जांच करने के प्रयोजन के लिए किसी न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकेगी ।

(2) उपनियम (1) के अधीन न्यायाधीश की नियुक्ति की सूचना ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को भी दी जाएगी ।

4. जांच करने की प्रक्रिया - न्यायाधीश सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा अधिकथित प्रक्रिया से आबद्ध नहीं होगा किन्तु नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगा जैसे कि अध्यक्ष या संबद्ध सदस्य को उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना देना और उसे ऐसे आरोपों की बाबत सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देना तथा न्यायाधीश को अपनी स्वयं की प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जांच का स्थान और समय नियत करना भी है, को विनियमित करने की शक्ति होगी ।

5. न्यायाधीश की शक्तियां - न्यायाधीश ऐसे साक्षियों या अभिलेखों को समन कर सकेगा जिन्हें वह इन नियमों के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे ।

[फा. सं. पी-23011/1/06-एमकेटी भाग (3)]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2006

G.S.R. 574(E).—In exercise of the powers conferred by Section 7 read with clause (b) of Sub-section (2) of Section 60 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Procedure for Appointment of a Person or Constitution of an Authority for Conducting Inquiry against Chairperson or a Member) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** – In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006;

(b) "Judge" means a Judge of the Supreme Court appointed for conducting an inquiry under Rule 3;

(c) All other words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

3. **The Judge to conduct inquiry.**- (1) Whenever the Central Government is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry against Chairperson or a Member under Section 7 of the Act, into truth of any imputation of acquisition of such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a Chairperson or member or abuse of his position as to render his continuance in office prejudicial to the interest of public, it may, after consulting the Chief Justice of India, by notification in the Official Gazette, appoint a Judge for the purpose of conducting such inquiry.

(2) Notice of appointment of a judge under sub-rule (1) shall also be given to such Chairperson or Member.

4. **Procedure for conducting inquiry.** - The Judge shall not be bound by the procedure laid down by the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), but shall be guided by the principles of natural justice such as informing the Chairperson or Member concerned of the charges against him and giving him a reasonable opportunity of being heard in respect of such charges and shall have power to regulate his own procedure including the fixing of place and time of his enquiry.

5. **Powers of the Judge.** – The Judge may summon such witness or records as he may consider necessary for the purpose of discharging his functions under these rules.

[F. No. P-23011/1/06-Mkt. Part (III)]

AJAY TYAGI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.